डॉ० बी० राजेन्दर, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार।

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग
नियोजन भवन, द्वितीय तल सी-ब्लॉक,
आयकर भवन के सामने, बेली रोड,
पटना-800001
फोन - 0612-2533855
फैक्स - 0612-2535004
ई-मेल - seclab-bih@nic.in

पत्रांकः BSDM/KYP-219/2023-1832 पटना, दिनांकः 26/09/2023

सेवा में,
सभी कौशल प्रशिक्षण केन्द्र,
कुशल युवा कार्यक्रम।

विषयः– **कुशल युवा कार्यक्रम के अनुश्रवण के संबंध में मार्गदर्शिका।**

महाशया / महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में कहना है कि बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग के द्वारा 'सात निश्चय' के अन्तर्गत कुशल युवा कार्यक्रम (KYP) का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें अपका महती योगदान है। यह योजना बिहार के युवाओं की क्षमता वर्धन करने एवं उन्हें रोजगारपरक बनाने के लिये एक महत्वपूर्ण संकल्प है, जिसमें प्रतिभागियों की प्रतिबद्धता एवं पारदर्शिता अनिवार्य है। उक्त योजना के अनुश्रवण हेतु आपके स्तर पर निम्नांकित दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य हैः

1. बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा केन्द्रों एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता जाँचने के लिए एक विस्तृत चेकलिस्ट तैयार किया गया है, जिसके आधार पर मिशन के अधिकारियों व कर्मियों द्वारा समय समय पर अनुश्रवण का कार्य किया जाएगा। इस अनुश्रवण कार्य में आपके द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा। (चेकलिस्ट की प्रति संलग्न)
2. सभी कौशल प्रशिक्षण केन्द्र अपनी इनटेक क्षमता का 100 प्रतिशत उपयोग करेंगे एवं इसे सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इनटेक क्षमता 100 प्रतिशत उपयोग नहीं किए जाने की स्थिति में मिशन द्वारा उन केन्द्रों के विरुद्ध नियमानुकुल कार्रवाई की जाएगी।
3. सभी कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों पर सीसीटीवी लगाना एवं विगत 15 दिनों का फूटेज सुरक्षित रखना भी सुनिश्चित करेंगे।
4. सभी केन्द्रों का अनुश्रवण मोबाईल एप के माध्यम से किया जाएगा एवं सभी पदाधिकारियों के पास अनुश्रवण संबंधी विवरण देखने हेतु एक Dashboard उपलब्ध होगा।
5. सभी केन्द्र मूल्यांकन एवं दैनिक प्रशिक्षण कार्य में सामान्य आचार संहिता (General Code of Conduct) का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे एवं किसी भी प्रकार के प्रतिरुपण (Impersonification) पाए जाने पर मिशन द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
6. केन्द्र द्वारा प्रशिक्षित युवाओं की ट्रेकिंग एवं उनके नियोजन हेतु हर संभव प्रयास किया जायेगा।
7. बिहार कौशल विकास मिशन के कमांड सेण्टर द्वारा वास्तविक समय में निगरानी आई0पी0 आधारित सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से की जाएगी।

आपसे अनुरोध है कि योजना के सफल अनुश्रवण हेतु पूरी प्रतिबद्धता एवं पारदर्शिता के साथ अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं एवं बिहार के युवाओं को रोजगारपरक बनाने के इस लक्ष्य की प्राप्ति में भागीदार बनें।

अनुलग्नकः यथोक्त

विश्वासभाजन

BRajender
25-9-2023

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग सह
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन।

डॉ० बी० राजेन्दर, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार।

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग
नियोजन भवन, द्वितीय तल सी-ब्लॉक,
आयकर भवन के सामने, बेली रोड,
पटना-800001
फोन - 0612-2533855
फैक्स - 0612-2535004
ई-मेल - seclab-bih@nic.in

पत्रांकः BSDM/KYP-219/2023-1833 पटना, दिनांकः 26/09/2023

सेवा में,
सभी कौशल प्रशिक्षण केन्द्र,
कुशल युवा कार्यक्रम।

विषयः– **कुशल युवा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के संबंध में मार्गदर्शिका।**

महाशया / महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में कहना है कि बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग के द्वारा 'सात निश्चय' के अन्तर्गत कुशल युवा कार्यक्रम (KYP) का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें अपका महती योगदान है। यह योजना बिहार के युवाओं की क्षमता वर्धन करने एवं उन्हें रोजगारपरक बनाने के लिये एक महत्वपूर्ण संकल्प है, जिसमें प्रतिभागियों की प्रतिबद्धता एवं पारदर्शिता अनिवार्य है। उक्त योजना का लाभ राज्य के सभी युवाओं तक पहुँचना सुनिश्चित करने एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता को उच्च स्तरीय बनाये रखने हेतु आपके स्तर पर निम्नांकित दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है:

1. पंजीकृत प्रशिक्षणार्थियों का केन्द्र पर प्रतिदिन आने (In time) एवं जाने के समय (Out time) बायोमेट्रिक उपस्थिति लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही, प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी द्वारा प्रतिदिन 4 घंटे का प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा।
2. सभी ऑनसेट (OnCet) पास प्रशिक्षकों (Learning Facilitators) को केन्द्र पर प्रतिदिन आने (In time) एवं जाने के समय (Out time) बायोमेट्रिक उपस्थिति लगाना अनिवार्य होगा।
3. कुशल युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों से स्पीकिंग / टाईपिंग / रीडिंग का प्रतिदिन अभ्यास कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. प्रतिदिन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण पूर्व शपथ लिया जाएगा, जिसका प्रारुप पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
5. मिशन द्वारा तैयार किए गए योजना संबंधी दिशा–निर्देशों को केन्द्र पर स्थापित मानदंडों के अनुसार प्रिंट कराकर लगाया जाना अनिवार्य होगा, जिसका प्रारुप पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
6. सभी केन्द्र प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु योग्य एवं निपुण प्रशिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, साथ ही अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से मोबिलाईजर एवं काउंसलर की भी नियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे एवं इनका उचित क्षमतावर्द्धन भी करायेंगे ताकि अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सके।

आपसे अनुरोध है कि गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित करने एवं योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु पूरी प्रतिबद्धता एवं पारदर्शिता के साथ अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं एवं बिहार के युवाओं को रोजगारपरक बनाने के इस लक्ष्य की प्राप्ति में भागीदार बनें।

अनुलग्नकः यथोक्त

विश्वासभाजन

BRajender 25.9.2023

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग सह
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन।